

मेरे तंदुरुस्त होने की जाँच-सूची

- मुझे घर में सुरक्षित महसूस होता है
- मेरे परिवार और मित्रों द्वारा मेरे साथ आदरपूर्ण व्यवहार किया जाता है
- मैं जब भी चाहूँ, अपने परिवार और मित्रों से मिल सकता/सकती हूँ
- मैं सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता/लेती हूँ, जैसे शॉपिंग के लिए जाना
- जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है, मुझे चिकित्सीय सहायता मिलती है और मेरे स्वास्थ्य की देख-भाल की योजना बनाने और उपचार करने के बारे में मेरी बात पर ध्यान दिया जाता है
- मेरी देख-भाल की निजी आवश्यकताओं (नहाना, निजी स्वास्थ्य-सफ़ाई आदि) का ध्यान रखा जाता है
- मुझे पता रहता है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है
- मैं अपनी मर्जी के अनुसार अपने पैसे खर्च कर सकता/सकती हूँ

अपने उत्तरों पर ध्यान दें।

यदि आपको अपनी परिस्थिति के बारे में कोई चिंता है तो आप अपने किसी विश्वासपात्र से बात कर सकते हैं, जैसे परिवार का कोई सदस्य, मित्र, चिकित्सक, कोई प्रमुख धार्मिक व्यक्ति; या फिर आप एन एस डब्ल्यू एजिंग एंड डिसेबिलिटी एब्यूज़ हेल्पलाइन (एन एस डब्ल्यू की बुजुर्गों और विकलांगों के साथ दुर्व्यवहार की सहायता सेवा) को फ़ोन कर सकते हैं।

1800 628 221

सोमवार से शुक्रवार -
प्रातः 9 बजे-सायं 5 बजे

**Ageing and Disability
Commission**

अनुवाद और दुभाषिया सेवाएँ
131 450

आभार प्रदर्शन: फ़ार नॉर्थ कोस्ट ओल्डर पर्सन्स वेलबीइंग कोलैबोरेटिव द्वारा बनाई गई जाँच-सूची से रूपांतरित .